

प्रेस नोट

जैतपुरा थानान्तर्गत चौकाघाट दोहरे हत्याकाण्ड में शामिल कुल 13 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी चेतगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 28.08.2020 को थाना जैतपुरा क्षेत्र के चौकाघाट दोहरे हत्याकाण्ड के सफल अनावरण के पश्चात हत्याकाण्ड में सम्मिलित कुल 13 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जैतपुरा में मु0अ0स0-04/21 धारा-3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। अभियुक्तों का विवरण निम्नवत है -

1. विवेक सिंह कट्टा पुत्र संजय सिंह निवासी लोहगाजर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर उम्र -30 वर्ष। (गैंगलीडर)
2. रवि प्रताप सिंह उर्फ सम्मी पुत्र श्री अवधेश सिंह निवासी जियासड़ थाना मेंहनगर जिला आजमगढ़ हाल पता ई-141 अशोक विहार फेज-1 थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र 30 वर्ष। (सदस्य)
3. हेमंत सिंह पुत्र विनोद कु0 सिंह निवासी ग्राम -सेमरी थाना बडा गाँव जनपद वाराणसी उम्र 33 वर्ष। (सदस्य)
4. विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्बू पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी पहाडी पट्टी थाना केराकत जौनपुर। (सदस्य)
5. अतुल विश्वकर्मा पुत्र समर बहादुर विश्वकर्मा निवासी कट्टूपुर थाना लाइन बाजार जौनपुर। (सदस्य)
6. शाश्वत सिंह पुत्र रामप्रकाश सिंह निवासी परसाईपुर नहोरा थाना जलालपुर जौनपुर उम्र 28 वर्ष। (सदस्य)
7. प्रभाकर उपाध्याय पुत्र जटाशंकर उपाध्याय निवासी सलेमपुर थाना जलालपुर जिला जौनपुर उम्र-35 वर्ष। (सदस्य)
8. विशाल सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी लोह गाजर थाना जलालपुर जौनपुर उम्र 36 वर्ष। (सदस्य)
9. नवीन उर्फ आयुष सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी SA 7/16 बेनीपुर थाना सारनाथ वाराणसी। (सदस्य)
10. राजाबाबु उर्फ विशाल विश्वकर्मा पुत्र समर बहादुर विश्वकर्मा निवासी कुट्टूपुर थाना लाइन बाजार जौनपुर उम्र 22 वर्ष। (सदस्य)
11. अभिनव सिंह पुत्र चन्द्र शेखर सिंह निवासी s-8/224 B-1 खजूरी थाना कैन्ट वाराणसी उम्र 29 वर्ष। (सदस्य)
12. अभिषेक सिंह उर्फ हनी पुत्र अनील सिंह निवासी S-8/441-B-1 खजूरी थाना कैन्ट वाराणसी उम्र-39 वर्ष। (सदस्य)
13. मनीष सिंह सोनु पुत्र अनील सिंह निवासी नरोत्तमपुर ps लंका वाराणसी उम्र-29 वर्ष। (सदस्य)

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-

policevaranasi

संख्या: पीआरओ 19/2021

दिनांक: जनवरी, 05/2021

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 05.01.2021 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *06 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व कुल 23 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये *कुल 152 व्यक्तियों से रु0-6400/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 448 वाहनों का चालान, 06 वाहनों को सीज तथा 173 वाहनों से रु0-1,48,600/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvn-s-up@nic.in, Facebook-

policevaranasi

संख्या: पीआरओ 20/2021

दिनांक: जनवरी, 05/2021

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 05.01.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 100 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 4097 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 589 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 75 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1858 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही एवं 51 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।